प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह पुत्र श्री चुनवाद, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह पुत्र श्री चुनवाद (दिनांक 16.09.2025 तक आयु 73 वर्ष 15 दिन है), तेरा, थाना-अतर्रा, जनपद-बांदा का निवासी है। दिनांक 22.07.2007 को वादी पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र राय एस०टी०एफ० लखनऊ अपनी टीम के साथ दस्यु उन्मूलन अभियान चला रहे थे, जिसमें दस्यू सरगना ठोकिया गैंग के सक्रिय सदस्य मईयादीन को मुडभेड़ में मार दिये जाने के उपरान्त रात्रि में जब वापस आ रहे थे तभी ठोकिया गैंग के सदस्यों द्वारा की गयी अंधाधुंध फायरिंग में 06 एस०टी०एफ० व 01 नागरिक कुल 07 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी, जिसमें 12 सहअभियुक्त शामिल है। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-140/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 12 डी.पी.ए. एक्ट एवं 7 सी.एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.09.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 17 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 09 माह 05 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (06 एस०टी० एफ० व 01 नागरिक कुल 07 व्यक्तियों की हत्या), पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा बन्दी के ऊपर उक्त वाद के अतिरिक्त 17 अन्य वाद पंजीकृत होने, स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह (बन्दी संख्या-405/2025) पुत्र श्री चुनवाद, निवासी जनपद-बांदा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1202 /2026/719(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- पुलिस अधीक्षक, बांदा।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।